6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in

सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY

(भारत की संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

6th Mile, Samdur, Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

SU/2014/FIN-02/2022-23/FG/2954/ 1111 | दिनांक : 18.01.2023

परिपत्र 05/2023

आकस्मिक और विविध उद्देश्य के लिए अग्रिम की निगरानी और नकद लेनदेन को कम करने पर परिपत्र

विश्वविद्यालय के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मियों को आधिकारिक कार्य के लिए अग्रिम की निकासी और निपटान पर लेखापरीक्षा के बार-बार अवलोकन के मद्देनजर, इसके सख्त अनुपालन के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं:

1. जीएफआर 2017 के नियम 172 (1) में कहा गया है कि प्रदान की गई सेवाओं या वस्तु की आपूर्ति के लिए भुगतान को सेवाओं के प्रदान किए जाने या आपूर्ति किए जाने के बाद ही जारी किया जाना चाहिए। हालाँकि, कुछ मामलों में अग्रिम भुगतान करना आवश्यक हो सकता है। इस तरह मामले में निजी फर्म को अनुबंध मूल्य के 30%, सरकारी एजेंसी/पीएसयू के मामले में 40% और मरम्मत के लिए 50% से अधिक अग्रिम नहीं होने चाहिए। इस तरह के अग्रिम भुगतान करते समय बैंक गारंटी आदि के रूप में पर्याप्त सुरक्षा उपायों को फर्म से प्राप्त किया जाना चाहिए। (यह दिशानिर्देश केवल नियम 172(1) का अंश है, इसका पूर्ण विवरण डीओई की वेबसाइट में देखा जा सकता है)।
2. "आकस्मिक और विविध उद्देश्य के लिए अग्रिम" के लिए जीएफआर के नियम 323 के भाग में कहा गया है कि कार्यालय प्रमुख किसी सरकारी कर्मचारी को वस्तुओं के क्रय या सेवाओं के लिए या आवश्यक कार्यालय प्रबंधन के किसी अन्य विशेष उद्देश्य के लिए अग्रिम स्वीकृत कर सकते हैं। यह निम्नलिखित के अधीन है :
    1. क्रय या अन्य उद्देश्य को क्रय के बाद की भुगतान प्रक्रिया भुगतान प्रणाली की परिकल्पना करते हुए सामान्य प्रक्रियाओं के तहत प्रबंधित नहीं किया जा सकता
    2. सरकारी कर्मचारी द्वारा शेष राशि के साथ (यदि कोई) समायोजन बिल को अग्रिम निकासी के पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें विफल होने पर अग्रिम या शेष राशि उनके अगले वेतन(यों) से वसूली जाएगी।
3. डिजिटल बैंकिंग और यूपीआई आधारित लेन-देन को प्रोत्साहित करना सरकार के महत्वपूर्ण निर्देशों में से एक रहा है, जिसके कारण विश्वविद्यालय द्वारा कई जाँच एवं शेष और रिपोर्टिंग दायित्वों को पूरा किया गया है। आयकर विभाग और भारत सरकार ने समय-समय नकद भुगतान पर कई प्रतिबंध लगाती रही है और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, सरकार द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 649 दिनांक 05.12.2016 में यह कहा गया है कि रु 5,000 से अधिक में कोई भुगतान ई-पेमेंट के अलावा कोई भी अन्य माध्यम से नहीं किया जा सकता है।

4. भारत सरकार द्वारा जारी उक्त प्रचलित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, सभी संबंधितों को इसे कड़ाई से पालन करने हेतु निम्नलिखित सलाह दी जाती है:
    1. अधिकारी को केवल उन्हीं मामलों में अग्रिम मांगना चाहिए जहां क्रय के बाद भुगतान संभव नहीं है।

6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in

सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY
(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2016)

6th Mile, Samdur,Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

2. यदि अग्रिम अपरिहार्य है, तो इसे जीएफआर 2017 के नियम 172 के प्रावधान के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए (कृपया ऊपर क्रमांक 1 देखें)
3. उपरोक्त क्र.सं. 2 के अनुसार यदि "आकस्मिक और विविध" उद्देश्य के लिए अग्रिम मांगा जाता है, तो जीएफआर के नियम 323 के अनुसार निर्धारित आवश्यक दिशानिर्देशों का भी पालन किया जाएगा।
4. अधिकारी को अग्रिम द्वारा पार्टियों/विक्रेता आदि के ऑनलाइन हस्तांतरण के लेन-देन के विवरण को मूल रूप से सभी समर्थन संलग्न के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
5. भारत सरकार द्वारा अनिवार्य कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से सभी भुगतान करने का प्रयास किया जा सकता है। हालांकि, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 649 दिनांक 05.12.2016 के तहत रु 5,000/- से ऊपर कोई भुगतान नकद में नहीं किया जाएगा।
6. सभी आवश्यक संलग्नकों के साथ अग्रिम निकासी के 15 दिनों के भीतर अग्रिम का समायोजन प्रस्तावित किया जाना चाहिए, जिसमें विफल होने पर जीएफआर 2017 के नियम 323 के अनुसार अधिकारी के अगले वेतन से अग्रिम या शेष राशि की वसूली की जाएगी।
7. संसाधन व्यक्तियों/विशेषज्ञों/अतिथियों/आवेदकों आदि को टीए/डीए के भुगतान के लिए उनसे बैंक खाता विवरण अग्रिम रूप से प्राप्त करें ताकि समय पर बैंक हस्तांतरण द्वारा लाभार्थी को राशि वितरित की जा सके।
8. अधिकारी द्वारा अग्रिम भुगतान करने के बजाय विश्वविद्यालय द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन करके पार्टी को सीधे भुगतान के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

5. अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नए अग्रिम के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले उसके नाम पर कोई पिछला अग्रिम बकाया नहीं है। अग्रिमों के निपटान को उसी फाइल में संसाधित किया जाना चाहिए, जिस फ़ाइल में अग्रिम मंजूर किया गया हो।
6. उपरोक्त दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, जिन अधिकारियों ने अग्रिम निकासी के पंद्रह दिनों के भीतर अपने अग्रिमों का निपटान नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे प्राथमिकता के आधार पर निपटान के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(पी.के. दाश)
वित्त अधिकारी

वितरण:

1. कुलपति के सूचनार्थ कुलपति के निजी सचिव
2. कुलसचिव के निजी सचिव
3. वित्त अधिकारी
4. पुस्तकालयाध्यक्ष
5. डीन, सभी विद्यापीठ और डीन, छात्र कल्याण
6. अध्यक्ष/प्रभारी, सभी विभाग
7. आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी
8. ई-मेल के माध्यम से सभी शैक्षणिक और गैर -शैक्षणिक कर्मचारी
9. समस्त सूचना पट्ट
10. वेबसाइट समिति परिपत्र को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
11. गार्ड फाइल